20रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(16)

मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निग - 1474 - I - 16

पुनरीक्षण आवेदन क. /2016

गौरीशंकर खंगार, आयु 55 वर्ष, पेशा कृषि पुत्र श्यामलाल खंगार, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

............आवेदक

738
21-4-16

बनाम्

(1) प्रभुदयाल खंगार पुत्र श्यामलाल खंगार, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

(2) रघुनाथ सिंह पुत्र तेज सिंह, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

(3) श्रीमति पुष्पा पत्नी मुन्ना लाल जैन, निवासी मुकेश लॉज के पास टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

12.5.16

(4) श्रीमति रितु पत्नी मनोज कुमार जैन

(5) श्रीमति निशा रावत पत्नी प्रदीप रावत

(6) गुलाव खंगार पुत्र श्यामलाल खंगार, निवासी ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय अपर आयुक्त सागर के प्रकरण कमांक 727/अ–3/13–14 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.02.2016 के विरूद्ध

महोदय,

आवेदक अपनी निगरानी में सादर निम्न विनय करता है :–

(1) यह कि, प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि, कृषि भूमि खसरा नं. 40/1 एवं 40/2 कुल रकवा 9–29 डेसीमल स्थित ग्राम शिवपुरी जमड़ार तहसील टीकमगढ़ जिला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्र. क्र.–निग.–1474–एक / 2016 जिला–टीकमगढ़

गौरीशंकर खंगार विरूद्ध प्रभूदयाल खंगार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
17 –12–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अर्जुन सिंह उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के स्तर पर सुना गया । 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 727 / अ–3 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–02–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य संलग्न सूची दस्तावेजों का अवलोकन किया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से उनके नाती श्यामलाल राय द्वारा नक्शा तरर्मीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये समस्त हितबद्ध पक्षकारों / सहखातेंदारों को सूचना जारी नहीं की गई और नक्शा तरर्मीम की कार्यवाही कर दी गई । जिसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह पाया की सभी सहखातेदार / बटांकधारियों को सूचना जारी नहीं की गई है। तरर्मीत प्रस्ताव का प्रकाशन नहीं किया गया है एवं नक्शा तरर्मीम की कार्यवाही मौके पर जाकर नहीं की गई है। इसलिये तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त सागर ने भी यथावत रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती । 4/ फलस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। (आर.के. जैन) 17/12/18 सदस्य	